न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीगण	ब ना म	अप्रार्थीगण
विनोद कुमार पुत्र शिवभगवान ब्राहम्ण, ज्ञानाराम पुत्र रूपाराम जाट, मेवाराम पुत्र रूघाराम जाट वगैरह		मोहनी पत्नी स्व. भंवरलाल कुमावत श्रवणपुरा वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र नम्बर 869 /2021 **GCMS No.** 2021/1172

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.12.2021	वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 24.01.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 225, 226, 715/229, 716/230 में अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 बिना विधिवत विभाजन के अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करें, अप्रार्थी सं.7 मौके एव राजस्व रेकार्ड की स्थिति बनाये रखें, अप्रार्थी संख्या 8 (अप्रार्थी सं. 1 ता 6) द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 24.01.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
31/12/2021	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नकल पर ली गई। [illegible] किया है कि प्रार्थना पत्र अग्रेतर [illegible] विड्रोल [illegible] प्रार्थना पत्र वापस [illegible] RT-Act 1955 [illegible] पत्रावली [illegible] लेकर नस्ती के साथ लेकर [illegible] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested